संख्या–2033/26–2–2021–1(66)/2019

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक: 17 दिसम्बर, 2021

विषय–समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित तथा निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित तथा निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का वित्तीय अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव बिना समुचित परीक्षण/जॉच पड़ताल के शासन के अनुमोदनार्थ सदर्भित कर दिया जाता है। इससे न केवल शासन पर अवांछित दबाव पड़ता है बल्कि वित्तीय अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुपालन का अवसर भी नहीं रह जाता। पदों के वित्तीय अनुमोदन, सृजन एव नियुक्ति के सम्बन्ध मे शासन स्तर से समय–समय पर निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को निर्देश निर्गत किए गए है, जिसमे शासनादेश स0–4260/26–2–03–4(9)/2000, दिनांक 16.01.2004 एवं शासनादेश सं0–1963/26–2–2010, दिनांक 27.07.2010 उल्लेखनीय है। शासन स्तर से निर्गत इन पत्रों द्वारा सर्वसम्बन्धित को ऐसे विद्यालयो में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, पद सृजन एवं वित्तीय अनुमोदन की शुचितापूर्ण प्रकिया अपनाए जाने के निर्देश दिए गए है। निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 के स्तर से शासन को संदर्भित प्रकरणों के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया है कि निर्गत दिशा–निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। शासन द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का अनुपालन अभीष्ट है।

2– उक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित तथा निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के वित्तीय अनुमोदन के प्रकरण शासन को संदर्भित करते समय संस्तुति/परीक्षण के दौरान निम्नलिखित दिशा–निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

(क) रिक्तियाँ किस प्रकार घटित हुई है, जिस पर शासन का वित्तीय अनुमोदन प्रस्तावित है।

(ख) किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप घटित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विधिमान्य प्रकिया क्या है? बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसे पदों को भरने हेतु क्या प्रकिया अपनाई जा रही है?

(ग) जिन पदों पर वित्तीय अनुमोदन प्रस्तावित है, क्या वे पद शासन स्तर से सृजित है? यदि नहीं तो रिक्तियों/वित्तीय अनुमोदन के अवधारण का आधार क्या है?

(घ) रिक्तियों को भरने हेतु विज्ञापन निकालने की समुचित प्रक्रिया क्या है? क्या विज्ञापन निकालने से पूर्व निदेशक समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग हेतु नोडल विभाग बेसिक शिक्षा विभाग की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त की गई थी।

(ङ) नियुक्तियों के वित्तीय अनुमोदन हेतु शासन स्तर पर गठित समिति (कार्यालय ज्ञाप दि0 06.12.2019) की संस्तुति प्राप्त कर ली गई है अथवा नहीं?

(च) नियुक्तियों हेतु विज्ञापन जारी करने से पूर्व पदों के अवधारण में आरक्षण–प्रक्रिया का पालन हुआ है अथवा नहीं?

(छ) प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित कुल कितने विद्यालय निष्क्रिय कोटि के हैं? क्या वैकल्पिक आधार पर ऐसे विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों (जिन्हें वेतनादि का भुगतान किया जा रहा है) को आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालयों में समायोजित करने पर निदेशालय स्तर पर विचार हुआ है? नए अध्यापकों को वित्तीय अनुमोदन हेतु प्रस्तावित करने से पूर्व इन बिन्दुओं पर विचार आवश्यक है अथवा नहीं?

(ज) सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत इन विद्यालयों की 01 किमी0 की परिधि में कुल कितने विद्यालय पूर्व से संचालित है? स्पष्ट किया जाए ताकि प्रस्तावित पदों के वित्तीय अनुमोदन की अपरिहार्यता का परीक्षण किया जा सके।

कृपया वित्तीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित/प्रेषित करते समय उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्यतः एवं कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। विचलन की स्थिति दण्डनीय होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव।

संख्या– (1)/26–2–2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित सभी विद्यालय के प्रबन्धकगण।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव।